



**प्रेस नोट**  
**जनपद सीतापुर**  
**गैंगेस्टर में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.08.2020 को मु0अ0सं0 312/20 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर में वांछित दो अभियुक्तगण 1. रिकू पुत्र बल्लू नि0 ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर 2. संदीप पुत्र देवदत्त नि0 ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त राहुल पुत्र गन्नू उर्फ गिरजाचंद्र नि0 ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 19.04.2019 को थाना सिधौली क्षेत्र में लूट की घटना कारित की गयी थी। तत्पश्चात् इनके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों की सम्पत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर प्रचलित रहेगी।

● **अभियुक्त का नाम/पता-**

1. रिकू पुत्र बल्लू नि0 ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर।
2. संदीप पुत्र देवदत्त नि0 ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर।

## अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का विवरण

- रिंकू पुत्र बल्लू नि० ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर-
  1. मु०अ०सं० 158/19 धारा 396/412 भादवि थाना , सीतापुरा
  2. मु०अ०सं० 312/20 धारा 2/3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवाँ जनपद सीतापुरा
- संदीप पुत्र देवदत्त नि० ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर-
  1. मु०अ०सं० 158/19 धारा 396/412 भादवि थाना , सीतापुर
  2. मु०अ०सं० 312/20 धारा 2/3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर
- राहुल पुत्र गन्नु उर्फ गिरजाचंद्र नि० ग्राम रसूलपनाह थाना अटरिया, सीतापुर-
  1. मु०अ०सं० 158/19 धारा 396/412 भादवि थाना , सीतापुर
  2. मु०अ०सं० 312/20 धारा 2/3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर

